

16.1.25

वकील वाडी उपस्थित वाड वाडी खीना विना जाग
ही विस्तृत निष्पत्ती अला हे लिखाण जाग शासित मिता
विना गपा । निष्पत्ती अगुकार परमा डिप्टी जाती हो । पत्रावली
वाड वरतीव तकमिल शीवल इफतर हो ।

आदेश सेर इजाजत हुनाचा गपा ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

ACMS
2024/596



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- संदीप कुमार (आर. ए. एस.)

प्रकरण सं.- 293/2024 60MS-2024/596

दायरा दिनांक:- 26.09.2024

धर्मवीर पुत्र श्री गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी लूनेवाला हाल बिशनपुरा तहसील रायसिहनगर जिला अनूपगढ़ वर्तमान श्रीगंगानगर राजस्थान।

-वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

- प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88- 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955



- उपस्थित :-
1. योगेश कुमार अधिवक्ता - वादी
 2. पैरोकारराज तहसीलदार सूरतगढ़

--: निर्णय :-

दिनांक :- 16/01/2025

प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने यह वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी के नाम से तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 1 एसएलडी की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता न. 68/32 के पत्थर न. 73/36 (42) के किला न. 7/2 में 0.134 हैक्. कमाण्ड, 14/0.253 हैक्. कमाण्ड, 15/1 ता 17/0.759 हैक्. कमाण्ड/खाला, 24 ता 25/0.506 हैक्. कमाण्ड मयखाला कुल 1.652 हैक्. में से 1/2 हिस्सा यानि 0.826 हैक्. कमाण्ड मयखाला खातेदारी कृषि भूमि व इसी चक की इसी सम्वत् की जमाबन्दी के खाता न. 63/1 के पत्थर न. 73/37 (58) के किला न. 1/0.215 हैक्. कमाण्ड, 7/1 में 0.126 हैक्. कमाण्ड, 8/2 में 0.127 हैक्. कमाण्ड, 9 ता 15 में 0.923 हैक्. कमाण्ड कुल 1.391 हैक्. में से 1/25 हिस्सा यानि 0.055 हैक्. कमाण्ड लघु पट्टी (स्मालपेच आवटन) भूमि व इसी चक की इसी सम्वत् की जमाबन्दी के खाता न. 62/1 के पत्थर न. 73/36 (42) के किला न. 20-21/0.506 हैक्. कमाण्ड में से 1/25 हिस्स यानि 0.020 हैक्. कमाण्ड लघुपट्टी (स्मालपेच आवटन) भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जैरवाद चक 1 एसएलडी की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता न. 68/32 के पत्थर न. 73/36 (42) के किला न. 7/2 में 0.134 हैक्. कमाण्ड, 14/0.253 हैक्. कमाण्ड, 15/1 ता 17 में 0.759 हैक्. कमाण्ड/खाला, 24 ता 25/2 में 0.506 हैक्. कमाण्ड मयखाला कुल 1.652 हैक्. खातेदारी भूमि पूर्व में वादी के पिता गोपीराम पुत्र श्री किशनलाल के नाम से था जो उनके देहान्त होने के बाद वादी व वादी के भाई को विरास्तन/दस्तबरदारी से प्राप्त हुआ है। विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय वादी का साधारण बोलचाल का नाम धर्मपाल ही उक्त विरास्तन इन्तकाल में दर्ज कर दिया है व व इसी चक की इसी सम्वत् की जमाबन्दी के खाता न. 63/1 के पत्थर न. 73/37 (58) के किला न. 1/0.215 हैक्. कमाण्ड, 7/1 में 0.126 हैक्. कमाण्ड, 8/2 में 0.127 हैक्. कमाण्ड, 9 ता 15 में 0.923 हैक्. कमाण्ड कुल 1.391 हैक्. में से 1/25 हिस्सा यानि 0.055 हैक्. कमाण्ड लघु पट्टी (स्मालपेच आवटन) भूमि व इसी चक की इसी सम्वत् की जमाबन्दी के

क्रमश पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

खाता न. 62/1 के पत्थर न. 73/36 (42) के किला न. 20-21/0.506 हैक्. कमाण्ड में से 1/25 हिस्स यानि 0.020 हैक्. कमाण्ड लघुपट्टी (स्मालपेच आवटन) भूमि को स्मालपेच आवटन करवाने के आवेदन पत्र में वादी का नाम साधारण बोलचाल का नाम धर्मपाल हो गया है जबकि वादी का सही नाम धर्मवीर है विरास्तन इन्तकाल व स्मालपेच आवटन आदेश में वादी का बोलचाल की भाषा का नाम धर्मपाल अकिंत हो गया है तथा जैरवाद रकबा के राजस्व दस्तावेज जमाबन्दीयो इन्तकाल इत्यादि मे वादी का साधारण बोलचाल का नाम धर्मपाल दर्ज हो गया है जबकि वादी का सही नाम धर्मवीर ही है वादी के आधारकार्ड व राशनकार्ड व पहचान पत्र इत्यादि में भी वादी का सही नाम धर्मवीर दर्ज है। इसलिये वादी अपने नाम के उक्त वर्णित चक 1 एसएलडी की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता न. 68/32 के पत्थर न. 73/36 (42) के किला न. 7/2 में 0.134 हैक्. कमाण्ड, 14/0.253 हैक्. कमाण्ड, 15/1 ता 17/0.759 हैक्. कमाण्ड/खाला, 24 ता 25/0.506 हैक्. कमाण्ड मयखाला कुल 1.652 हैक्. में से 1/2 हिस्सा यानि 0.826 हैक्. कमाण्ड मयखाला खातेदारी कृषि भूमि व इसी चक की इसी सम्वत् की जमाबन्दी के खाता न. 63/1 के पत्थर न. 73/37 (58) के किला न. 1/0.215 हैक्. कमाण्ड, 7/1 में 0.126 हैक्. कमाण्ड, 8/2 में 0.127 हैक्. कमाण्ड, 9 ता 15 में 0.923 हैक्. कमाण्ड कुल 1.391 हैक्. में से 1/25 हिस्सा यानि 0.055 हैक्. कमाण्ड लघु पट्टी (स्मालपेच आवटन) भूमि व इसी चक की इसी सम्वत् की जमाबन्दी के खाता न. 62/1 के पत्थर न. 73/36 (42) के किला न. 20-21/0.506 हैक्. कमाण्ड में से 1/25 हिस्स यानि 0.020 हैक्. कमाण्ड लघुपट्टी (स्मालपेच आवटन) भूमि में दर्ज वादी का नाम धर्मपाल पुत्र श्री गोपीराम के स्थान पर धर्मवीर पुत्र श्री गोपीराम की डिक्री जारी करवाना चाहता है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की और दिनांक 06.11.2024 को जवाब स्टेट पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया व साक्ष्य वादी में वादी व वादी के सहकाशतकार पवन कुमार पुत्र गोपीराम के ब्यान व साक्ष्य पेश किये गये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यो का गहनता से अवलोकन किया गया। वादी के नाम से चक 1 एसएलडी की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता न. 68/32 के पत्थर न. 73/36 (42) के किला न. 7/2 में 0.134 हैक्. कमाण्ड, 14/0.253 हैक्. कमाण्ड, 15/1 ता 17/0.759 हैक्. कमाण्ड/खाला, 24 ता 25/0.506 हैक्. कमाण्ड मयखाला कुल 1.652 हैक्. में से 1/2 हिस्सा यानि 0.826 हैक्. कमाण्ड मयखाला खातेदारी कृषि भूमि व इसी चक की इसी सम्वत् की जमाबन्दी के खाता न. 63/1 के पत्थर न. 73/37 (58) के किला न. 1/0.215 हैक्. कमाण्ड, 7/1 में 0.126 हैक्. कमाण्ड, 8/2 में 0.127 हैक्. कमाण्ड, 9 ता 15 में 0.923 हैक्. कमाण्ड कुल 1.391 हैक्. में से 1/25 हिस्सा यानि 0.055 हैक्. कमाण्ड लघु पट्टी (स्मालपेच आवटन) भूमि व इसी चक की इसी सम्वत् की जमाबन्दी के खाता न. 62/1 के पत्थर न. 73/36 (42) के किला न. 20-21/0.506 हैक्. कमाण्ड में से 1/25 हिस्स यानि 0.020 हैक्. कमाण्ड लघुपट्टी (स्मालपेच आवटन) में वादी

क्रमश पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(3)

प्रकरण सख्या 293/2024


बअनवान – धर्मवीर बनाम राजस्थान सरकार

का नाम धर्मपाल दर्ज है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो से यह पूर्णतया साबित है कि वादी का सही नाम धर्मवीर है। इसलिये हम वादी का नाम धर्मपाल के स्थान पर धर्मवीर किया जाना उचित समझते है।

अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी के नाम के उक्त वर्णित चक 1 एसएलडी की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता न. 68/32 के पत्थर न. 73/36 (42) के किला न. 7/2 में 0.134 हैक्. कमाण्ड, 14/0.253 हैक्. कमाण्ड, 15/1 ता 17/0.759 हैक्. कमाण्ड/खाला, 24 ता 25/0.506 हैक्. कमाण्ड मयखाला कुल 1.652 हैक्. में से 1/2 हिस्सा यानि 0.826 हैक्. कमाण्ड मयखाला खातेदारी कृषि भूमि व इसी चक की इसी सम्वत् की जमाबन्दी के खाता न. 63/1 के पत्थर न. 73/37 (58) के किला न. 1/0.215 हैक्. कमाण्ड, 7/1 में 0.126 हैक्. कमाण्ड, 8/2 में 0.127 हैक्. कमाण्ड, 9 ता 15 में 0.923 हैक्. कमाण्ड कुल 1.391 हैक्. में से 1/25 हिस्सा यानि 0.055 हैक्. कमाण्ड लघु पट्टी (स्मालपेच आवटन) भूमि व इसी चक की इसी सम्वत् की जमाबन्दी के खाता न. 62/1 के पत्थर न. 73/36 (42) के किला न. 20-21/0.506 हैक्. कमाण्ड में से 1/25 हिस्स यानि 0.020 हैक्. कमाण्ड लघुपट्टी (स्मालपेच आवटन) इस प्रकार तीनों खातों में दर्ज धर्मपाल के स्थान पर धर्मवीर दर्ज किया जाने का आदेश तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को दिया जाता है। इसीनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ0 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

--: परचा डिक्री :-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :- संदीप कुमार, आर.ए.एस.)

--: अनवान :-

धर्मवीर पुत्र श्री गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी लूनेवाला हाल बिशनपुरा तहसील रायसिहनगर जिला अनूपगढ वर्तमान श्रीगंगानगर राजस्थान।

-वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ।

- प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 - 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नं. 293 वर्ष 2024 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री योगेश कुमार व पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है।

अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी के नाम के उक्त वर्णित चक 1 एसएलडी की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता न. 68/32 के पत्थर न. 73/36 (42) के किला न. 7/2 में 0.134 हैक्. कमाण्ड, 14/0.253 हैक्. कमाण्ड, 15/1 ता 17/0.759 हैक्. कमाण्ड/खाला, 24 ता 25/0.506 हैक्. कमाण्ड मयखाला कुल 1.652 हैक्. में से 1/2 हिस्सा यानि 0.826 हैक्. कमाण्ड मयखाला खातेदारी कृषि भूमि व इसी चक की इसी सम्वत् की जमाबन्दी के खाता न. 63/1 के पत्थर न. 73/37 (58) के किला न. 1/0.215 हैक्. कमाण्ड, 7/1 में 0.126 हैक्. कमाण्ड, 8/2 में 0.127 हैक्. कमाण्ड, 9 ता 15 में 0.923 हैक्. कमाण्ड कुल 1.391 हैक्. में से 1/25 हिस्सा यानि 0.055 हैक्. कमाण्ड लघु पट्टी (स्मालपेच आवटन) भूमि व इसी चक की इसी सम्वत् की जमाबन्दी के खाता न. 62/1 के पत्थर न. 73/36 (42) के किला न. 20-21/0.506 हैक्. कमाण्ड में से 1/25 हिस्स यानि 0.020 हैक्. कमाण्ड लघुपट्टी (स्मालपेच आवटन) इस प्रकार तीनों खातों में दर्ज धर्मपाल के स्थान पर धर्मवीर दर्ज किया जाने का आदेश तहसीलदार राजस्व सूरतगढ को दिया जाता है।

नोजX..... मुबलिंगX..... बाबतX..... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरहX..... फस्दो की पालनाX..... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनाक 16.01.2025 को जारी की गई।




(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)